27.9.10

पक्षकार और इनके अधिवक्ता
अनुपस्थित है। अतः
याचिका खारिज की जाती
है। आदेश दिनांक 24.9.10 को
सुनाया जाए।

24.9.10

पक्षकार आज और इनके अधिवक्ता
अनुपस्थित है। अतः
इस प्रकरण में अगला
दिया गया है, अतिम
अवसर दिया जाकर प्रकरण
को आदेश दिनांक 8.10.10
को सुनाया जाए।

8.10.10

पक्षकार आज और इनके अधिवक्ता
अनुपस्थित है। अतः
अवसर दिये जाने के उपरान्त भी
पक्षकार उपस्थित नहीं होने से
अधिवक्ता का पक्षकार बन्द किया
जाता है। अधिवक्ता की ओर से

फर्द अहकाम

(नियम 133)

मुकाम .....

बनाम .....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियस जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पक्षीम बरस अली गढ़ / प्रार्थना पत्र तहत आदेश अन्तर्गत धारा 212 RTA दाखिल किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरुद्ध इसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी के कब्जे एवं स्वामित्व की जमीन पर अतिक्रमण नहीं करें, कब्जा करने की कोशिश नहीं करें, निर्माण कार्य नहीं करें, सामि कार्य नहीं करें, प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में बाधा नहीं डालेंगे एवं न ही किसी अन्य के माध्यम इस हेतु प्रेरित करेंगे। पक्षकार कैसल पुमार से। वकील से कम से।	